पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी--बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009
दूरभाष क्रमांक : (07752) 240752,240712
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 1204 / पौ.मै.छा.शा. / 2021 बिलासपुर, दिनांक 11 / 11 / 2021

प्रति,

....

....

....

विषयः--सत्र जनवरी--दिसम्बर 2021 एवं सत्र जूलाई--जून 2021--22 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन के विषय में।

संदर्भः-- कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक / पो.मै. छा / 2021--22 / 1815 बिलासपुर दिनांक 09 / 11 / 2021।

------ 000 ------

उपरोक्त विषय के अनुक्रम एवं संदर्भित पत्र के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय केंद्र एवं उनके अधीनस्थ अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र जनवरी--दिसम्बर 2021 एवं सत्र जुलाई--जून 2021--22 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ नवीन वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

आवेदन करने एवं संस्था स्तर पर उक्त प्रकरणें से संबंधित प्रक्रियाओं हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई है--

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 15.11.2021 तक

उपरोक्त निर्धारित अंतिम तिथि 16 / 11 / 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करें एवं दिनांक 16 / 11 / 2021 तक आवेदन की हार्डकॉपी, आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें। छात्रवृत्ति KYC रिपोर्ट पर दिनांक 16 / 11 / 2021 तक **अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय मुख्यालय में आवेदक स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर करें**। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् यदि संबधित विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जावेगी तो ऐसे आवेदनों को प्रोसेस नहीं किये जायेंगे जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।

कुलसचिव

पृ.क्र. / 1205 / पौ.मै.छा.शा. / 2021 बिलासपुर,दिनांक 11 / 11 / 2021

प्रतिलिपि--

1 कुलपति जी को सूचनार्थ।

2. क्षेत्रीय समन्वयक, बिलासपुर, रायपुर, अम्बिकापुर, जशपुर,जगदलपुर, दुर्ग, उप क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर को सूचनार्थ।
3. परीक्षा विभाग को सूचनार्थ
4. विभाग प्रमुख वेबसेल को इस निर्देशके साथ प्रेषित कि सूचना पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साईट में अपलोड करें।
5. प्रभारी ऑनलाईन सर्वर शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय समन्वयक
क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

विश्वविद्यालय में आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक दस्तावेजों

(मूल प्रति के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति) की सूची

1. ऑनलाइन लॉक की गई आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति।
2. विश्वविद्यालय में प्रवेश के आवेदन एवं चालान की स्वप्रमाणित प्रति।
3. 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पूर्व वर्षों में उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं की अंक सूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का समस्त स्त्रोंतो से परिवार की वार्षिक अधिकतम आय रू.2.50 लाख तक की आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिसमें हितग्राही आवेदक का नाम स्पष्ट अंकित हो।
5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. ऐसे आवेदनकर्ता जिनके पालक शासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत है उनके आय प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी होना चाहिऐ। शासकीय सेवारत की स्थिति में फॉर्म–16 संलग्न करें।
7. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. आवेदक की स्वयं की बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें आवेदक का नाम, खाता क्रं. एवं बैंक की IFSC कोड का स्पष्ट उल्लेख हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
10. शपथ प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी के शासकीय/अर्ध शासकीय/अशासकीय संस्थान में कार्यरत न रहने संबंधी शपथ पत्र जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में परिवार की वार्षिक आय का स्पष्ट उल्लेख हो (मूल प्रति)।
11. विद्यार्थी का वचन पत्र [अनिवार्य]

छत्तीसगढ़ शासन के स्कालरशिप पोर्टल पर आवेदन के विषय में।

1. उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन भरते समय institute के चयन का उपयोग करें। अन्य किसी भी institute कोड का उपयोग करने पर आपके आवेदन दूसरी संस्था को ऑनलाइन प्रेषित होगें।
2. ऑनलाइन आवेदन भरते समय course code हेतु पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सर्च आप्शन का उपयोग करें।
3. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को पूर्ण रूप से भर कर लॉक करें।
4. शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.pssou.ac.in से डाउनलोड करें।
5. आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् अपने बैंक खाता में मिनिमम बैलेंस रखें और समय–समय पर अपने बैंक खाते में राशि का आहरण करते रहे अर्थात बैंक खाते को active रखें। बैंक खाते active नहीं रहने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भुगतान नहीं हो पायेगी जिसकी समस्त जवाबदेही आवेदनकर्ता की होगी।
6. आवेदनकर्ता अपने बैंक खाते को आधार से अनिवार्यतः लिंक कराये।
7. छात्रवृत्ति KYC रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय में आवेदनकर्ता स्वयं आ कर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करें अन्यथा आप छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जायेंगे जिसकी समस्त जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी।

शपथ पत्र

मैं .... पिता / पति का नाम ....
उम्र .... निवासी–ग्राम / नगर .... तहसील ....
जिला .... छ.ग. शपथपूर्वक करता / करती हूँ कि –

1. मैं वर्तमान में शिक्षा सत्र .... में पण्डित सुनदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम .... में .... वर्ष की विद्यार्थी हूँ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य शासन की स्कॉलरशिप पोर्टल पर मेरे ऑनलाइन आवेदन की क्रमांक....................................... है।
3. मैं वर्तमान में किसी भी शासकीय / अर्ध शासकीय / अशासकीय संस्थान में सवैतनिक पद पर कार्यरत नहीं हूँ।
4. चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में सकल स्त्रोतों से मेरे परिवार की वार्षिक आय ....है, जो कि मेरे आय प्रमाण पत्र में दर्ज है।
5. मेरे द्वारा बिंदु क्रमांक 1 से 4 तक की दी गई जानकारी सत्य है।

आवेदक का नाम / हस्ताक्षर : ....

पाठ्यक्रम : ....

मोबाईल नं.: ....

विद्यार्थी का वचन पत्र

मैं वर्ष 2020–21 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन किया हूँ। मै आवेदन अंकित में नाम, पिता/पति का नाम, बैंक खाता नम्बर, बैंक ब्रांच, मोबाईल नम्बर, आय, जाति वर्ग, कक्षा, महाविद्यालय का नाम मिलान किया हूँ, सही है। मैं छात्रवृत्ति आवेदन में दिये गये बैंक खाता में ट्रांजेक्शन अर्थात् 6 माह के अंतराल में रुपये जमा करुंगा/करुंगी या रुपये आहरण करुंगा/करुंगी, बैंक खाता में नियमानुसार न्यूनतम बैलेंस रखूंगा/रखूंगी। छात्रवृत्ति आवेदन में दिये गये मोबाईल नम्बर को चालू रखूंगा/रखूंगी। अगर मेरा बैंक खाता बंद होने या बैंक खाता में त्रुटि होने के कारण मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त नही होता तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होउंगा/होउंगी।

दिनांक :–

हस्ताक्षर...
नाम..
पिता/पति का नाम...............................
मोबाईल नं....................................
कक्षा..
कॉलेज का नाम...........................

(टीप :– **यह वचन पत्र विद्यार्थी स्वयं लिख सकते है या प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर** कर, **नाम आदि लिख सकते है।** यह वचन पत्र प्रत्येक विद्यार्थी से लिया जाना है। इस वचन पत्र को विद्यार्थियो के आवेदन में ना लगाये, सभी विद्यार्थियो के वचन पत्र को एक साथ टैंग लगाकर जमा करें। महाविद्यालय चाहे तो अपने पास एक कापी रख सकते है।)